

प्रेषक,

शमसुल हक
पीठासीन अधिकारी,
मोटर दुर्घटना दावा अधिकरण
ललितपुर।

सेवा में,

डिप्टी रजिस्ट्रार (एम)
माननीय उच्च न्यायालय,
इलाहाबाद।

विषय—

ई पोर्टल द्वारा प्रार्थना पत्र संख्या 1718 दिनांकित 14.02.2021
पर लगायी गयी आपत्ति को दूर करने के संबंध में।

महोदय,

उपरोक्त विषय के संबंध में ससम्मान निवेदन है कि मुझे सपरिवार हज करने सउदी अरब निकट भविष्य में जाना है। मेरा पूर्व में माननीय न्यायालय की अनुमति से पासपोर्ट बना था जो दिनांक 02.05.2021 को समाप्त हो रहा है। उक्त पासपोर्ट के रिन्यूअल हेतु मैंने ई पोर्टल के माध्यम से प्रार्थना पत्र 1718 दिनांकित 14.02.2021 माननीय न्यायालय को अनापत्ति प्राप्त करने हेतु प्रेषित किया है परन्तु उक्त प्रार्थना पत्र पर यह आपत्ति लगायी गयी है कि धारा 6(2) पासपोर्ट अधिनियम 1967 में दी गयी प्राविधान तथा माननीय न्यायालय द्वारा उक्त के संबंध में जारी सरकूलर लेटर के अनुपालन में नोटरी शपथ पत्र प्रस्तुत किया जाय, जिसमें परिवार के आश्रितों का विवरण भी होना चाहिये। इसके अतिरिक्त चार फोटोग्राफ जिसमें एक स्वतः प्रमाणित हो भी आफ लाइन भेजने के निर्देश प्राप्त हुये है।

अतः चार फोटोग्राफ जिसमें एक स्वतः प्रमाणित है आवश्यक कार्यवाही हेतु भेजे जा रहे है तथा स्वतः प्रमाणित नोटरी शपथ पत्र ई पोर्टल पर अपलोड कर दिया गया है।


आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

सादर।

संलग्नक—

उपरोक्तानुसार।

भवदीय,


(शमसुल हक) 23.2.21

पीठासीन अधिकारी,
मोटर वाहन दुर्घटना अधिकरण
ललितपुर